

प्रेषक,

अजीत सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02

देहरादून, दिनांक, 05 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सैक्टर -अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव/पुनर्निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं० 1550/प्र०अ०/सि०वि०/नि०अनु०/पी-27 (राज्य सैक्टर) 18.06.2020 एवं पत्र संख्या 3765 प्र०अ०/सि०वि०/नि०अनु०/पी-27 (राज्य सैक्टर) दिनांक 04.10.2019, 482/प्र०अ०/सि०वि०/नि०अनु०/पी-27 (राज्य सैक्टर) दिनांक 30.01.2020 एवं पत्र संख्या 3154/प्र०अ०/सि०वि०/नि०अनु०/पी-27(राज्य सैक्टर) दिनांक 12.10.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सैक्टर -अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव/पुनर्निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत **संलग्न सूची** में उल्लिखित विवरणानुसार 35 योजनाओं, कुल लागत **रु० 354.93 लाख (रु० तीन करोड़ चौवन लाख तिरानवे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक योजना लागत का 40 प्रतिशत कुल **रु० 141.97 लाख (रु० एक करोड़ इक्तालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ii) व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/ विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।
- (iii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
- (iv) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
- (v) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- (vi) जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः.....2

- (vii) प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0-10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (viii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ix) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (x) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
- (xi) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-292/9(150)-2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।
- (xii) आगामी वित्तीय वर्ष में लघु निर्माण कार्य हेतु सुसंगत मद में बजट प्राविधान कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-01- बाढ़ नियंत्रण-103- सिविल निर्माण कार्य-03-अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव/ पुनर्निर्माण-53-वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 353/XXVII(7)/19-50(07) 2019, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 एवं शासनादेश संख्या-293/XXVII(7)36/2010-11, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।


भवदीय,

(अजीत सिंह)
उप सचिव।

संख्या-453 (1)/11(2)/2020-03(06)/2016 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कोलागढ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
6. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश सिंह बड़वाल)
अनु सचिव।

**शासनादेश संख्या-453(1)/11(2)/2020-03(06)/2016 टी0सी, दिनांक 05 मार्च, 2021
का संलग्नक**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का विवरण	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित 40प्रतिशत धनराशि
01	Project for flood protection work along right bank of Nagun Gad at Kansi village, Chiniyalisaur Block of District Uttarkashi.	18.79	7.516
02	Project for flood protection work along left bank of Nagun Gad at Kot village, Chiniyalisaur Block of District Uttarkashi.	15.03	6.012
03	तहसील काशीपुर में डेला नदी की बाढ़ से जगन्नाथपुर की सुरक्षा हेतु नदी को चैनेलाईजेशन करने एवं मिट्टी/सिल्ट हटाये जाने का कार्य।	8.74	3.496
04	तहसील काशीपुर में डेला नदी की बाढ़ से आदर्शनगर (सरबरखेडा) की सुरक्षा हेतु नदी को चैनेलाईजेशन करने एवं मिट्टी/सिल्ट हटाये जाने का कार्य।	1.73	0.692
05	तहसील काशीपुर में डेला नदी की बाढ़ से काली बस्ती (लक्ष्मीपुरपट्टी) की सुरक्षा हेतु नदी को चैनेलाईजेशन करने एवं मिट्टी/सिल्ट हटाये जाने का कार्य।	2.59	1.036
06	तहसील जसपुर में फीका नदी की बाढ़ से ग्राम राजपुर की सुरक्षा हेतु नदी को चैनेलाईजेशन करने एवं मिट्टी/सिल्ट हटाये जाने का कार्य।	11.92	4.768
07	तहसील जसपुर में फीका नदी की बाढ़ से ग्राम पूरनपुर की सुरक्षा हेतु नदी को चैनेलाईजेशन करने एवं मिट्टी/सिल्ट हटाये जाने का कार्य।	8.67	3.468
08	तहसील जसपुर में डेला नदी की बाढ़ से ग्राम किलावली की सुरक्षा हेतु नदी को चैनेलाईजेशन करने एवं सिल्ट/मिट्टी हटाये जाने का कार्य।	8.13	3.252
09	तहसील जसपुर में डेला नदी की बाढ़ से ग्राम नवलपुर की सुरक्षा हेतु नदी को चैनेलाईजेशन करने एवं मिट्टी/सिल्ट हटाये जाने का कार्य।	9.75	3.90
10	तहसील गदरपुर में हरिपुरा जलाशय में आने वाली भाखडा नदी से ड्राईवर्जन एवं सैक्शन सुधार कार्य।	8.26	3.304
11	तहसील गदरपुर में हरिपुरा स्पिलवे के डाउनस्ट्रीम में सिल्टसफाई का कार्य।	9.76	3.904
12	नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत सिडकूल बाउन्ड्री रोड से गंगापुर रोड तक बैगुल नदी का चैनलाईजेशन व सफाई का कार्य। (रीच किमी 0.00 से 3.00 तक)	8.91	3.564
13	तहसील सितारगंज के ग्राम ठाकुरनगर की सूखी/बैगुल नदी की बाढ़ से सुरक्षा से हेतु नदी में चैनेलाईजेशन कार्य।	9.00	3.60
14	तहसील सितारगंज के ग्राम गोविन्दनगर, पाडा गाँव एवं सूखी बन्ध सूखी नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु सूखी नदी में चैनेलाईजेशन कार्य।	18.68	7.472
15	तहसील सितारगंज के राजनगर, कोटाफार्म को बैगुल नदी की बाढ़ से सुरक्षा से हेतु बैगुल नदी में चैनेलाईजेशन कार्य।	6.92	2.768
16	तहसील सितारगंज के झाड़ी नं0-09 को बैगुल नदी की बाढ़ से सुरक्षा से हेतु नदी में चैनेलाईजेशन कार्य।	6.92	2.768
17	तहसील खटीमा के ग्राम दिया चॉदपुर के समीप बहने वाली कामन नदी की बाढ़ से सुरक्षा से हेतु नदी में चैनेलाईजेशन एवं आर0बी0एम0-सिल्ट/मिट्टी हटाये जाने का कार्य (रीच कि0मी. 1.100 से 1.850 कि0मी0 तक)।	5.50	2.20
18	तहसील सितारगंज के ग्राम कनपुरा मटिहा में कैलाश नदी को बाढ़ से बचाने हेतु नदी में क्यूनेट खुदान का कार्य।	14.83	5.932

19	तहसील सितारगंज में ग्राम खैराना को कैलाश नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु नदी में क्यूनेट खुदान कार्य।	10.32	4.128
20	तहसील सितारगंज में ग्राम सलमती एवं विचपुरी को कैलाश नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु नदी में क्यूनेट खुदान कार्य।	9.67	3.868
21	तहसील सितारगंज के ग्राम कनपुरा मटिहा में कैलाश नदी के बाँये पार्श्व से हो रहे कटाव को रोकने हेतु बैंक सुरक्षात्मक कार्य।	7.95	3.18
22	तहसील सितारगंज के ग्राम डोहरा में कैलाश नदी के बाँये पार्श्व में बाढ़ से हो रहे कटाव को रोकने हेतु बैंक सुरक्षात्मक कार्य।	7.92	3.168
23	तहसील सितारगंज में स्थित ग्राम भूड झाला के समीप बहने वाली देवहा नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु नदी में चैनेलाईजेशन एवं मिट्टी /सिल्ट हटाये जाने का कार्य।	8.39	3.356
24	तहसील सितारगंज में विचुबा के समीप बहने वाली देवहा नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु नदी में चैनेलाईजेशन एवं मिट्टी /सिल्ट हटाये जाने का कार्य।	5.24	2.096
25	तहसील सितारगंज में छोटी टुकड़ी के समीप बहने वाली देवहा नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु नदी में चैनेलाईजेशन एवं मिट्टी /सिल्ट हटाये जाने का कार्य।	8.39	3.356
26	तहसील सितारगंज में ग्राम कच्ची खमरिया के समीप बहने वाली देवहा नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु नदी में चैनेलाईजेशन एवं मिट्टी /सिल्ट हटाये जाने का कार्य।	4.19	1.676
27	तहसील खटीमा में स्थित ग्राम मोहम्मदपुर के समीप बहने वाली देवहा नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु नदी में चैनेलाईजेशन एवं मिट्टी /सिल्ट हटाये जाने का कार्य।	8.39	3.356
28	तहसील सितारगंज के अरविन्द नगर जलपनिया को बैगुल नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु नदी में चैनेलाईजेशन कार्य।	13.84	5.536
29	जनपद पौड़ी के विकासखण्ड दुगड़डा में सुखरौ नदी में चैनेलाईजेशन का कार्य (रीच कि०मी० 7.50 से कि०मी० 9.00 के मध्य)।	9.50	3.80
30	जनपद पौड़ी के विकासखण्ड दुगड़डा में तेलीस्रोत नाले में चैनेलाईजेशन का कार्य (रीच कि०मी० 0.00 से कि०मी० 1.500 के मध्य)।	9.55	3.82
31	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड यमकेश्वर के घटटूगाढ गाँव में हिंवल नदी का चैनेलाईजेशन का कार्य (रीच 0.00 मी० से 1000.00 मी० तक)।	9.96	3.984
32	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत सतेडी नदी के तट पर ग्राम यमकेश्वर एवं अवई में चैनेलाईजेशन का कार्य (रीच 0.00 मी० से 1200.00 मी० तक)।	9.95	3.98
33	जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में बौर नदी के बाँये पार्श्व में हो रहे कटाव को रोकने के कार्य की योजना। (रीच अनुसूचित जाति कालोनी के पास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 0.054 तक)	19.62	7.848
34	जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में बौर नदी के बाँये पार्श्व में हो रहे कटाव को रोकने के कार्य की योजना। (रीच ग्राम कालाढूंगी बंदोबस्ती में कि०मी० 0.000 से कि०मी० 0.048 तक)	18.01	7.204
35	जनपद उत्तरकाशी के नौगांव विकासखण्ड के खाण्ड में मानछी तोक में बाढ़ सुरक्षा कार्य योजना।	19.91	7.964
कुल योग		354.93	141.97

(रु० एक करोड़ इक्तालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र)

(अजीत सिंह)

उप सचिव।